

बिहार सरकार  
 जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, भागलपुर।  
 E-mail Id - zpceobhagalpur@gmail.com  
 (केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर  
 निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 01 SBD/2026-2027  
 (राजकीय / राष्ट्रीय स्पर्धा)

1. कार्य का विवरण :-

गुप संख्या	प्रखंड का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रुपये में) (Through online or Manual mode Payment)	परिमाण विपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (रु० में) (Through online Payment)	वैल्ट्रॉन को देय Bid Processing Fee (Through online Payment) अप्रत्यर्पणीय (रुपय में)	कार्य समाप्ति की अवधि
01	रंगराचौक	रंगराचौक प्रखंड में मुख्य सड़क से रंगराचौक प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली पहुंच पथ का जीर्णोद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्य।	79,67,900/-	1,59,400/-	10,000/-	As Per Website	09 माह

2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- जिला अभियंता, जिला परिषद, भागलपुर।
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक- 18.05.2026
4. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि :- दिनांक- 08.06.2026 से 15.06.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक।(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5. प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय :- जिला अभियंता, जिला परिषद, भागलपुर के कार्यालय में दिनांक-08.06.2026 के अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक - 15.06.2026, के अपराह्न 3.30 बजे। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बिड निष्पादन के पश्चात सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान :- वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर
9. निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन।
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) एवं [state.bihar.gov.in/prdbihar](http://state.bihar.gov.in/prdbihar) पर देखा जा सकता है।

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निवधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व इस राज्य में भवन निर्माण विभाग/अन्य कार्य विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साझेदार फर्म/कंपनी के मामले में जीड एवं Articles of Assosiation की छायाप्रति Upload करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-मेल से संबंधित जानकारी सहायता हेतु eproc2support@bihar.gov.in एवं Toll Free no.- 18005726571, तथा EProc 2.0 Help Desk Address - mjunction services limited RJ complex, 2ndFloor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.& Shastri Ngar Patna 800014, Bihar से प्राप्त किया जा सकता है।
13. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्वोरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। निबंधन से उन्हें User Id तथा Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate With Encryption) प्राप्त करना होगा। User Id, Password, DSC इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
14. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने कि जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
15. बीड प्रोसेसिंग फीस+सर्विस टैक्स (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विधि यथा Internet Payment Gateway(Credit Cards) अथवा NEFT/RTGS/CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
16. निविदा कागजात का मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों को Eproc2.0 Portal पर Online Mode में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scanned Copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
17. (क) मात्र ऑनलाइन विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जाएंगे। यदि किसी निविदाकार द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाता है तो मात्र BG (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जाएगा। बैंक गारंटी जिला अभियंता, जिला परिषद् भागलपुर के नाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए एवं उसकी वैधता निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से कम से कम 180 दिन होना चाहिए। BG का Online Verification किया जायेगा।  
(ख) बिहार राज्य के बाहर अवस्थित Bank से निर्गत BG को कार्य आवंटन के पश्चात एवं एकरारनामा के पूर्व अनिवार्य रूप से बिहार राज्य अवस्थित भारतीय Scheduled Bank / भारतीय राष्ट्रीय बैंक से निर्गत कराकर जमा करना होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित Bank Guarantee निविदा निर्गत के बाद के तिथि से निर्गत होना चाहिए।  
(ग) "Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement Portal- www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The Department/Office doesn't take any responsibility for the delay/non submission of tender/non reconciliation of online payment caused due to non - availability of Internet connection, Network traffic/Holidays or any other reason."  
(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
18. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्व0-हस्ताक्षरित प्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
19. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
20. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे जो किसी भी विभाग से Debar/ Black Listed हैं।






21. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, ववैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में वाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
22. निविदादाताओं द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में (CWJC संख्या - 9941/2022) दिनांक 07.07.2023 में पारित न्यायादेश के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439 दिनांक 17.07.2023 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
23. निविदित दर Serious Unbalanced Rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447(S) दिनांक 16.01.2020, Letter No. 448(S) दिनांक 16.01.2020 & Letter No. 449(S) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
24. निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों की उद्धृत न्यूनतम दर समान होने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग सहिता के अनुरूप लौटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाएगा।
25. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) लेबर शेष (Labour cess) की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु नियमानुसार कटौती की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के तहत जी0एस0टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
26. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
27. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
28. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
29. निविदा के तकनिकी बीड में निम्नांकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
  - ✓ अग्रधन की राशि
  - ✓ वैध निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  - ✓ साझेदार फर्म/कम्पनी के मामलों में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छायाप्रति।
  - ✓ पैन कार्ड की छायाप्रति।
  - ✓ आचरण प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत।
  - ✓ GST निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  - ✓ निविदित राशि का 10% बैंक क्रेडिट फौसिलिटी।
  - ✓ अन्य सभी कागजात F-2 के अनुसार।
30. घोषणा प्रमाण-पत्र (मूल में) का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा :-

मैं अघोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .....

.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता, पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।
31. संवेदक को निम्नलिखित रूप में अंकित नोटराईज्ड शपथ पत्र जो निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा। " I the undersigned do hereby certify that all statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing".
32. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही UPLOAD किये जाए, अन्य Format में Upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

33. संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गए कागजातों की **Download ability/visibility** से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
34. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटी होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए की अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
35. कार्य आवंटित होने की तिथि से 14 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के F-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा एवं निर्धारित अवधि के अर्न्तगत ही कार्य को पूर्ण करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। कार्य पूर्ण करने में बिलंब होने पर भुगतान में अनुमान्य कटौती की जायेगी।
36. E-Tendring में कार्यालय द्वारा **Download** करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
37. इस विज्ञप्ति की सभी शर्तें F-2 एकरारनामा का अंश होगा।
38. स्वामिस्व (Royalty) एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।
39. अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजन कर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
40. Key Tools & Equipment के संबंध में यह शपथ पत्र देना होगा की –  
"कार्य आवंटित होने पर कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार के **Tools & Equipment** स्वयं अथवा भाड़े पर लेकर **Completion period** की सीमा के अन्दर प्राक्कलन के विशिष्टियों तथा रूपांकण के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा। भाड़े के Tools & Equipment लेने पर उसके मालिक एवं अपना शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
41. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता कार्यालय जिला परिषद भागलपुर में जिला अभियंता से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

2

18/5/26

जिला अभियंता  
जिला परिषद, भागलपुर।